बासीवाला डबलपर्वा वर्सेज बनाम मैसर्स मीनाक्षी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	पर्वना फल पत्थरगढ़ी Suo-no-57/2019
11-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकालत नामा वादी/प्रार्थी/अप./~~अनुविक्षत~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-11-19 को पेश हो।
22-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकालत नामा वादी/प्रार्थी/अप./~~अनुविक्षत~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-11-19 को पेश हो।
26.11.2019	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बाजवूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एवं पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1289/3, 1289/2 कुल किता 2 कुल रकबा 7.1426 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है, जिसके प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो उक्त भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि प्रार्थी के उत्तरी दिशा में एंव अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमियॉ प्रार्थी की भूमियों के दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। जो कि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमियों में प्राय:

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही पर संक्षिप्त लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	ब सविला उवलप बनाम जनक सिंह वगैरह प्रार्थना पत्र पर विचार 30-5-2019	

मजाहमत करते रहते है। सींवडोल नष्ट करने की बेजा कोशिशें करते है तथा मना करने पर मारपीट व झगड़ा–फसाद पर आमादा हो जाते है। जिसका अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को किसी किस्म का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का अजीतगढ़ के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 25.06.2019 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 25.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1289/3, 1289/2 कुल किता 2 कुल रकबा 7.1426 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ. निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 25.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

.....बसीबालाडवलपर्स..... बनाम .....मंगिर श्री हरसिंह जी.....

किस्म मुकदमा .....प्रार्थना पत्र पत्थरगढी..... नं. 57 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

Scanned by CamScanner